संख्या- 11/2017/129/38-6-17-02(एनआरएलएम)/2015 टीसी

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ, दिनांक- 30 मार्च, 2017

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की तृतीय ट्रेन्च के सापेक्ष केवल मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्रांक-3838/आजीविका/लेखा/2016-17, दि0-23.02.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0-एस-11051/21/2015/एनआरएलएम(एसवीईपी) यूपी, दि0-14.02.2017 के माध्यम से एनआरएलएम के अन्तर्गत प्रदेश के 02 जनपदों के 02 विकास खण्डों हेतु स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु रू0-1,06,13,000/- की केन्द्रांश की प्रथम किश्त की 60 प्रतिशत धनराशि यूपीएसआरएलएम के बैंक खाते में सीधे अवमुक्त की गयी है।

2- भारत सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0-1,06,13,000 के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-70,75,334/- बनती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-17 में अनुदान संख्या-13(सामान्य मद) में हुयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0-70,75,334/-(रूपये सत्तर लाख पचहत्तर हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम के अन्तर्गत स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश रू0-70,75,334/-(रूपये सत्तर लाख पच्हत्तर हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) की धनराशि का आहरण राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को यूपीएसआरएलएम द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार से योजना में यथासमय द्वितीय किश्त प्राप्त हो सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2017 को समर्पित कर दी जाएगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण मिशन, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भारत सरकार के उक्त पत्र दि0-14.02.2017 में उल्लिखित शर्तों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है। यदि कोई कमी परिलक्षित हो तो तत्काल शासन के संज्ञान में लाकर ठीक कराने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाए, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

(5) धनराशि की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दि0-22.03.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान सं0-13(सामान्य मद) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.-60 रा.-40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दि0-22.03.2016 में निहित निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 11/2017/129(1)/38-6-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, 9वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (द्वारा यूपीएसआरएलएम)
6- मिशन निदेश, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- श्री तपिस चन्द्र नोटियाल, उपसचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 6वां तल होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
11- राज्य योजना आयोग-1/2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।